



# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय राजकुमार धीरज सिंह, महाविद्यालय उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

यूजीसी से 2 (F) मान्यता, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर से संबद्ध

COLLEGE CODE- 3405 "NAAC द्वारा मूल्यांकित - B ग्रेड" (2.18 CGPA) टेलीफोन नं०- 07774-251272

Website: govtrdscollegeudaipur.in

Email ID govtrdscollegeudaipur01@gmail.com

उदयपुर, दिनांक 27 / 07 / 2024

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/574/126/आउशि/रा.सं.स्था0/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06/07/2024 के परिपालन में अतिथि व्याख्याता विषय अर्थशास्त्र हेतु विज्ञापन नं० 15/07/2024 को प्रकाशित किया गया। दिनांक 23/07/2024 तक प्राप्त आवेदन का परीक्षा करते हुए दिनांक 24/07/2024 को अंतिम मेरिट सूची श्रेणीवार वेबसाइट पर अपलोड की गई। तथा महाविद्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा की गई। दावा आपत्ति हेतु दिनांक 26/07/2024 अपराह्न 05 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया। दिनांक 27/07/2024 को महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याता चयन समिति द्वारा दावा आपत्ति निराकरण करते हुए अंतिम मेरिट सूची वेबसाइट पर अपलोड तथा सूचना पटल पर चस्पा की गई।

## अतिथि व्याख्याता अभ्यर्थी हेतु आवश्यक निर्देश :-

- दिनांक 27/07/2024 को जारी अंतिम मेरिट सूची के संबंधित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 31/07/2024 तक अपने मूल दस्तावेज, एवं अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
- आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व आवेदन में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
- आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
- अभ्यर्थी कि नियुक्ति की समस्त प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें, अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अधीन होगी।

- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व आवेदन में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।

27/7/24  
प्राचार्य

शास. राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय,  
उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)



## शपथपत्र

(50 रुपये के गैर-न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

..... पिता ..... उम्र ..... वर्ष रहवासी  
 ..... एतद् द्वारा शपथपूर्वक  
 घोषणा करता/करती हूँ कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति  
 2024 की व्यवस्था अंतर्गत मुझे ..... विश्वविद्यालय की .....  
 अध्ययनशाला/महाविद्यालय ..... जिला ..... के .....  
 विषय के प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी के रिक्त पद के  
 विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय  
 सहायक/क्रीडा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) हेतु आमंत्रित किया गया है जिसे स्वीकार कर  
 नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती  
 हूँ कि किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में इस आमंत्रण/व्यवस्था को निरस्त किया जा  
 सकता है -

1. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का/की मूल निवासी हूँ/नहीं हूँ।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
3. मैं किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूँ एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/धकार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।
5. इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह

- 1.
- 2.